न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—476 / 2016 / 223 (2016 / 00476)

1. भंवरलाल पुत्र स्व0 नारायण,
2. छीतर पुत्र स्व0 नारायण,
3. रामा पुत्र स्व0 नारायण,
4. रंगलाल पुत्र स्व0 नारायण,
5. हजारी पुत्र स्व0 नारायण,
समस्त जाति गुर्जर, निवासी बावड़ी की ढाणी, ग्राम पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
6. राजूराम पुत्र स्व0 भागीरथ उर्फ भागू,
7. माधूराम पुत्र स्व0 भागीरथ उर्फ भागू,
8. मोटू पुत्र स्व0 भागीरथ उर्फ भागू,
समस्त जाति गुर्जर, निवासी बावड़ी की ढाणी, ग्राम पालडी भोपतोतान, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्योदान पुत्र स्व0 भारमल,
2. उद्धाराम पुत्र स्व0 भारमल,
3. धन्ना पुत्र स्व0 भारमल,
4. हरलाल पुत्र स्व0 भारमल,
5. छोटू पुत्र स्व0 भारमल,
6. देवा पुत्र स्व0 भारमल,
7. श्रीमती लाली पुत्री स्व0 भारमल,
8. श्रीमती लाडा पुत्री स्व0 भारमल,
9. श्रीमती राजा पुत्री स्व0 भारमल,
समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पालड़ी, भोपतोतान, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
10. भंवरिया उर्फ भंवरलाल दत्तक पुत्र मालू, जाति गुर्जर, नि0 बावड़ी की ढाणी, पालड़ी भोपतोतान, तह0 रूपनगढ, जिला अजमेर ।
11. श्रीमती मानुड़ी देवी पत्नी रामकरण,
12. श्रीमती मनभर देवी पत्नी देवकरण,
13. श्रीमती लालीदेवी पत्नी गोपीराम,
समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बावड़ी सरना डूंगर, जयपुर ।
14. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़, जरिये शाखा प्रबंधक ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
16. उप पंजीयक, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 1.10. 2015 अंतर्गत वाद संख्या 35 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री रामदेव गुर्जर एवं श्री उमेश कुमार, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अरविन्द दाधीच, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 14.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 15 व 16.

निर्णय

दिनांकः— 27.8.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.10.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी भारमल पुत्र रामा द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पालड़ी भोपतोतान के खसरा नंबर 172 रकबा 72—8—0 से तरमीम खसरा नंबर 172/1 रकबा 48—5—00 के 1/2 हिस्से भू—भाग के खातेदारी प्राप्ति का वादी वैध अधिकारी है । खसरा नंबर 171 रकबा 7 बिस्वा का वादी 1/3 हिस्से एवं खसरा नंबर 174 रकबा 8—11—00 का वादी 1/3 हिस्से का सह—खातेदार काश्तकार है । इस आशय की घोषणात्मक डिक्री वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित की जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 1.10. 2015 को वादी का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0/वादी द्वारा अधी0न्याया0 में खातेदारी उद्घोषणा एवं विभाजन का वाद पेश किया था तथा राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 53 के तहत वाद में आवश्यक पक्षकारों को वाद में पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है किन्तु वादी ने अपने वाद में आवश्यक पक्षकार श्रवण, मूला पुत्रगण दीपा एवं अन्य काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर विभाजन के आदेश पारित कर दिये । अधी0न्याया0 का आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । वादी ने अधी0न्याया0 के समक्षा खातेदारी उद्घोषणा का वाद पेश किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 राज0 सरकार द्वारा ने तो जवाब पेश किया गया एवं न ही कोई साक्ष्य पेश की गई एवं न ही वादी द्वारा धारा 80 जा0दी0 का नोटिस ही राज0 सरकार को दिया गया । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद में पक्षकार सुटी उर्फ सुवा पत्नि नारायण पक्षकार थी एवं दौराने वाद सुटी उर्फ सुवा की मृत्यु हो गयी थी जिसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई । अधी0न्याया0 ने मृतक के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जो की है जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 द्वारा वाद में दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये वर्तमान अभिलेख में अपीलांट रंगलाल का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़ के अधीन रहन रखी गयी थी जो वाद में एक प्रभावी पक्षकार होने के बावजूद भी उक्त हिस्से पर अधी0न्याया0 द्वारा डिक्री पारित कर दी जबकि बैंक एक आवश्यक पक्षकार था ।
5. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के द्वारा वाद में पक्षकार सरजू, हीरा, दाखा, सजना, गौरा पुत्रिगण नारायण की तामील सम्मन से न करवा कर सीधे तौर पर अखबार साया से करवा दी जबकि पूर्व में वादी/रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए0डी0 सम्मन भेजे गये थे उसमें डाक विभाग द्वारा गलत पता अंकित

होने के कारण वापिस लौटा दिये थे जबकि वादी द्वारा वाद पेश करने से पूर्व से ही उपरोक्त पक्षकारगण ग्राम उलाणा तहसील परबतसर जिला नागौर में स्थायी रूप से निवासरत है । अखबार साया भी अजमेर जिला का करवाया गया जबकि विधि के तहत नागौर जिले के समाचार पत्र में नोटिस साया करवाना चाहिये था । इस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 में अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्ददास पुरोहित उपस्थित थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है जबकि अधिवक्ता द्वारा अपीलांटस को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी । अधिवक्ता की गलती के कारण अपीलांटस को दण्डित नहीं किया जा सकता है । बहस में आगे कथन किया कि अधिकार अभिलेख में खातेदारी अपीलांटस के पूर्वाधिकारी बिरदा पुत्र श्योराम के नाम से है जिन्हें सुने बिना खातेदार के विरूद्ध पारित आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अवैध व शून्य आदेश एवं डिक्री की पालना अधिकार अभिलेख में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 के द्वारा करवा कर रेस्पो0 संख्या 11 लगायत 13 को बेचान कर दिया गया है जबकि डिक्री की इजराय प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 द्वारा आज दिन तक आवेदन पेश नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.10.2015 को निरस्त किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत् है । ग्राम पालड़ी भोपतोतान के खसरा नंबर 172 रकबा 72–8–0 से तरमीम खसरा नंबर 172/1 रकबा 48–5–00 के 1/2 हिस्से भू–भाग के खातेदारी प्राप्ति का वादी वैध अधिकारी है । खसरा नंबर 171 रकबा 7 बिस्वा का वादी 1/3 हिस्से एवं खसरा नंबर 174 रकबा 8–11–00 का वादी 1/3 हिस्से का सह–खातेदार काश्तकार है । वादी/रेस्पो0 ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से अपना वाद साबित किया है । वाद अधीन आराजी में भारमल का 1/3 हिस्सा उसी अनुसार उसके वारिसान का तथा प्रतिवादी संख्या 1 नारायण व प्रतिवादी संख्या 2 भागीरथ का 1/3 हिस्सा उसी अनुसार उसके वारिसान का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 भंवरिया उर्फ भंवरलाल का 1/3 हिस्सा है, उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है । वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का प्रतिवादी/अपीलांटस द्वारा खण्डन नहीं किया गया है । प्रदर्श 1 जमाबंदी के अनुसार बिरदा, मालू पिता शोराम, भंवरलाल पुत्र रामा सा0 देह हिस्सा बराबर अंकित है । इससे स्पष्ट है कि वादी भारमल आराजी का सहखातेदार काश्तकार था। इसी जमाबंदी में लाल स्याही से नामांतकरण संख्या 77 दिनांक 17.12. 1983 के अनुसार वाद अधीन आराजी में मालू फौत बक्षीशनामे के आधार पर खसरा नंबर 171 रकबा 7 बिस्वा का 1/3 हिस्सा, खसरा नंबर 172 रकबा 72–8–00 बीघा का 1/3 हिस्से पर भंवरिया दत्तक पुत्र मालू, कौम गुर्जर के नाम स्वीकार हुआ तथा जमाबंदी में तहसीलदार, किशनगढ़ के द्वारा दिनांक 29.4.1975 से बिरदा के बजाय नारायण, भागीरथ का नाम दर्ज किया तथा मालू के स्थान पर भंवरिया का नाम दर्ज किया गया है । राजस्व रिकार्ड में बिना किसी अन्तरण जरिये विक्रय, वसीयत, विरासत के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इंद्राज होना चाहिये था इसके अलावा सक्षम न्यायालय की डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन होना चाहिये था किन्तु उक्त प्रकरण में बिना किसी

अन्तरण एवं सक्षम न्यायालय की डिक्री वादी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया था जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य होने से अधी0न्याया0 ने वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन रहा है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादी ने विवादित भूमि के सहखातेदारान जो कि वाद में आवश्यक पक्षकार थे, को पक्षकार नियुक्त नहीं किया तथा वाद में पक्षकार सुटी उर्फ सुवा पत्नि नारायण पक्षकार थी जिसकी वाद के विचाराधीन रहते मृत्यु हो गई थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने मृतक खातेदार के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि अधी0न्याया0 में अपीलांटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा में कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है जिससे अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 में घोषणात्मक एवं बंटवारे का वाद पेश किया है । बंटवारे के वाद में विवादित भूमि के समस्त खातेदारान आवश्यक पक्षकार है तथा इन्हें वाद में पक्षकार नियुक्त किया जाना आवश्यक है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा रूपनगढ़ के रहन रखी हुई थी जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा भी वाद में आवश्यक पक्षकार थे, इसके बावजूद वादीगण/रेस्पो0 ने बैंक को वाद में पक्षकार नियुक्त नहीं किया है । वादीगण/रेस्पो0द्वारा वाद में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नियुक्त नहीं कर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.10.2015 को प्राप्त की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.10.2015 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.10.2015 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात के समस्त सहखातेदारों एवं हितबद्ध पक्षकारों को वाद में पक्षकार नियुक्त कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर